

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2016/माघ 15, 1937

No. 315]

NEW DELHI, THURSDAY FEBRUARY 4, 2016/MAGHA 15, 1937

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2016

का.आ. 363(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 14) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, फरवरी 2016 के चौथे दिन को वह तारीख निर्धारित करती है, जिस दिन से उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 7/9/2011-आरआरबी]

आलोक टण्डन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2016

S.O. 363(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Regional Rural Banks (Amendment) Act, 2015 (14 of 2015), the Central Government hereby appoints the 4th day of February, 2016, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No.7/9/2011-RRB]

ALOK TANDON, Jt. Secy.